XXIX – 47/12

(27)

दिनांक 12.10.2012 को उपायुक्त, देवघर की अध्यक्षता में District E-Governance Society (DeGS) की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति : संलग्न।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश उपायुक्त द्वारा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को दिया गया।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर ने बताया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में देवघर जिला में District E-Governance Society का गठन उपायुक्त, देवघर की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसके सचिव–सह–संयोजक उप विकास आयुक्त, देवघर होंगे। सोसाईटी ऑफ रजिष्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत District E-Governance Society के गठन हेतु बायलॉज तैयार कर प्रस्ताव राज्य सरकार को समर्पित किया जाना है, इसके लिए Memorandum of Association of DeGS, का प्रस्ताव तैयार करने का निदेश जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को उपायुक्त द्वारा दिया गया ।

उपरोक्त विभागीय निर्देश / प्रावधान के अंतर्गत District E-Governance Society के गठन हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

DeGS के Governing Body में सरकार / विभाग द्वारा नामित पदाधिकारियों के अतिरिक्त निम्नांकित पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया जो इस प्रकार है :–

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, देवघर।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर।
3. ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर।
4. जिला योजना पदाधिकारी, देवघर।
5. जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर।
6. मंडल कारा अधीक्षक, देवघर।
7. झारनेट प्रभारी, देवघर।

एवं DeGS के General Body में सरकार/विभाग द्वारा नामित पदाधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम देवघर/महाप्रबंधक, बी0एस0एन0एल0, देवघर एवं DLSA, देवघर के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

(मेमोरेन्डम की कॉपी संलग्न)

आवश्यक निर्देश :–

1. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिले के सभी 194 प्रज्ञा केन्द्र इस माह के अंत तक नवनिर्मित पंचायतों में शिफ्ट करते हुए सभी केन्द्र क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक प्रज्ञा केन्द्र ग्राम पंचायतों में outsourcing एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी VLE को बुलाकर प्रज्ञा केन्द्र को क्रियाशील करायेंगे। जहां VLE नही होंगे, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी Computer Operator रखेंगे।

(अनु0–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला)

2. प्रज्ञा केन्द्र में MIS प्रविष्टि/पत्र आदि टाईपिंग/E-Mail भेजना एवं प्राप्त करने के साथ सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र जाति, आवासीय, आय प्रमाण–पत्र चरित्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का कार्य भी करेगा। इसके लिए दर का निर्धारण किया जायेगा, जिसके लिए उप–विकास आयुक्त, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिला योजना पदाधिकारी की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

(अनु0–उप विकास आयुक्त/जिला सूचना विज्ञान पदा0/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर)

3. सभी प्रज्ञा केन्द्र में ब्रॉडबैंड या अन्य किसी भी इन्टरनेट की सुविधा होनी चाहिए। जिला द्वारा सभी प्रखंडों के क्लस्टर पंचायत में V-SAT की सुविधा का यथाशीघ्र अधिष्ठापन किया जायेगा।

सभी केन्द्र पंचायत भवन में शिफ्ट हो गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समर्पित करेंगे। निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपायुक्त द्वारा दिया गया।

(अनु0—सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला)

4. यह भी निर्णय हुआ कि सभी प्रज्ञा केन्द्र में Computer/Printer/UPS आदि की सुविधा होगी जिसका व्यय 13वें वित्त आयोग के मद से किया जायेगा।

सारे ग्राम पंचायतों को एक कम्प्यूटर, प्रिंटर्स, यू0पी0एस0, स्केनर एवं वेब कैमरा तथा टेबुल—कुर्सी उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रज्ञा केन्द्रों को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित करेंगे। जहां—जहां बिजली की सुविधा है, उन पंचायत भवनों में यथाशीघ्र विद्युत कनेक्शन ले लिया जाय।

5. केन्द्र में उपलब्ध कम्प्यूटर संचालन हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर अपने स्तर से रख सकते है इसके लिए प्रत्येक प्रखंड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। कम्प्यूटर ऑपरेटर को रखने से संबंधित सूचना जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही Internet Connectivity की सुविधा सभी केन्द्रों पर उपलब्ध हो इसे जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर सुनिश्चित करेंगे। निदेश उपायुक्त, देवघर द्वारा दिया गया।

(अनु0—सभी प्र0वि0पदा0 / जि0सू0वि0पदा0, देवघर)

6. प्रज्ञा केन्द्रों के अतिरिक्त प्रखण्डों में कम से कम तीन कार्यशील कम्प्यूटर सेट अच्छी हालत एवं साफ—सुथरे कमरे में क्रियाशील होने चाहिए।

7. प्रखण्डों एवं अंचलों से निर्गत होनेवाला सभी प्रमाण—पत्र यथा आवासीय, जातीय, आय, जन्म एवं मृत्यु तथा चरित्र प्रमाण—पत्र आवेदनकर्त्ता प्रज्ञा केन्द्रों में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है।

8. Digital Signature तैयार करने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर संबंधित विभाग को भेजने का निदेश जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को उपायुक्त, देवघर द्वारा दिया गया।

9. सभी VLE किस स्थिति में है और वर्त्तमान में क्या कर रहें है, इसकी समीक्षा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। VLE की सूची सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा देने का निदेश जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को उपायुक्त द्वारा दिया गया।

10. ओरियेन्टेशन प्रोग्राम आयोजित कर VLE एवं केन्द्र के अन्य कर्मियों को बेसिक स्कील्ड ट्रेनिंग देने की व्यवस्था एवं ट्रेनिंग की सारी प्रक्रिया 15 नवम्बर, 2012 के पूर्व सम्पन्न कर लेने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को उपायुक्त, देवघर द्वारा निदेश दिया गया।

11. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं अन्य प्रखण्ड कर्मी अपने-अपने प्रखण्ड मुख्यालाय में आवासन करेंगे, निदेश उपायुक्त, देवघर द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, देवघर जिला को दिया गया।

(अनु0-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधि0, देवघर जिला)

12. कर्नल मुक्तेश्वर गुप्ता, उप निदेशक, बी0आई0टी0, जसीडीह, देवघर द्वारा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में Computerised Attendance Management System (CAMS) लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। इस संबंध में उपायुक्त, देवघर द्वारा प्रथम चरण में जिले के स्वास्थ्य विभाग में CAMS प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को CAMS चालू कराने हेतु संबंधित फर्म/एजेंसी से विस्तृत कोटेशन प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करने का निदेश उपायुक्त, देवघर द्वारा दिया गया।

(अनु0-सिविल सर्जन, देवघर/जिला सूचना विज्ञान पदा0, देवघर)

13. DeGS के बैंक खाते के संबंध में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि DeGS का बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक, देवघर में खुलवाया जाय। इस कार्य के निष्पादन हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उप विकास आयुक्त
देवघर।

31.10.12
उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1750/वि0, देवघर, दिनांक 01 वीं ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012 ई0।

प्रतिलिपि :– DeGS देवघर के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– DeGS बैठक की कार्रवाई के अनुरूप अनुपालन से संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

उप विकास आयुक्त
देवघर।

31.10.12
उपायुक्त,
देवघर।